

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जास्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

हंसराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 16/2020
निर्णय दिनांक :- 02.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी अधिवक्ता वादी श्री पलविन्द्र सिंह, प्रेम कुमार पेश होकर आदेश दिया जाता है
व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वक 7 ओ की
जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58 में अंकित नाम हंसासिंह पुत्र अवतार सिंह के
स्थान पर हंसराज सिंह पुत्र अवतार सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के
शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 02/10/2021..... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री कलक्टर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00





{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}


सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक 02/10/21

क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 355

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री कलक्टर